माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005 शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून दिनांक नवम्बर 2005 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12		कक्षा 9–10		अन्य
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	
1	शिक्षण शुल्क					
2	कला एवं वाणिज्य	20.00	20.00	15.00	15.00	मासिक
3	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	मासिक
4	विलम्ब दण्ड	0.10	–	0.10	–	मासिक
5	अनुपस्थित दण्ड	0.10	–	0.10	–	मासिक
6	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	मासिक
7	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	मासिक
8	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	मासिक
9	रेडक्रास	0.15	1.00	0.15	1.00	मासिक
10	क्रीड़ा	0.40	2.00	0.30	2.00	मासिक
11	स्काउट गाइड	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक

क्र0 सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12		कक्षा 9–10		अन्य
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	
12	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक
13	पुस्तकालय/वाचनालय	8.00	10.00	8.00	10.00	वार्षिक
14	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	छमाही
15	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	छमाही
16	जलपान	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
17	श्रव्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
18	वाहन शुल्क छात्राओं हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
19	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	–	–	मासिक
20	विघुत	1.50	2.00	150	02.00	छमाही
21	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	वार्षिक

शासनादेश संख्या–444/XXIV(1)/2013-258/2012 दिनांक 31 मई 2013 के अनुसार बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं शिक्षा का अधिकार नियमवाली, 2011 के अनुक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा–1 से कक्षा–8 तक) के छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क को समाप्त किया गया है। सचिव, विद्यालयी शिक्षा के उक्त आदेश का सार निम्नवत है–

"अधिसूचना संख्या 1013/XXIV(1)/2011-45/2008 दिनांक 31.10.2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं0 380/XXIV-3/2005 दिनांक 21.11.2005 एवं शासनादेश स0 1/XXIV-5/2005 दिनांक 30.03.2011 द्वारा शासकीय विद्यालयों हेतु निर्धारित विभिन्न शुल्कों में कक्षा–8 तक के विद्यार्थियों के लिये निर्धारित समस्त प्रकृति के शुल्कों को एततद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्ते यथावत लागू रहेंगी। यह आदेश वित्त विभाग के आदेश सं0 10(NP)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 31.5.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।"